कार्यालय कलेक्टर,आदिवासी विकास शाखा बालोद (छ.ग.)

फैक्स नं. 07749-223915, ई–मेल – actwd.balod@gmail.com

-:: ज्ञापन ::-

क्र/399 /आ.वि/ऑ.ला.पो.मे.छा./2022 बालोद दिनांक 13.06.2022

प्रति,

सहायक संचालक,
जनसंपर्क विभाग बालोद
जिला–बालोद (छ.ग.)

विषय :– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति संबंधी प्रेस विज्ञप्ति जिले के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करने बाबत्।

संदर्भ :– कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर का पत्र क्र/आ.ला.पो.मै.छा./131/2022–23/1978 रायपुर दिनांक 30.05.2022

– :: 00 ::–

उपरोक्त संदर्भित विशयांतर्गत विज्ञप्ति को जिला स्तरीय दो बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों(जिनकी पहुंच ग्रामीण अंचलों तक हो) में लगातार तीन दिवस तक प्रकाशित कराने का कश्ट करें, जिससे जिले में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, मेडिकल कालेज, आई.टी.आई. एवं पॉलीटेक्निक में पढ़ने वाले अनु.जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों एंव प्राचार्यों/संस्था प्रमुखों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की ऑनलाईन आवेदन एवं स्वीकृति की अंतिम तिथि की सूचना प्राप्त हो सके।

संलग्न :– विज्ञप्ति।

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास बालोद
जिला–बालोद(छ.ग.)

पृ.क्र/399A/आ.वि/ऑन. पो.मे.छा./2022 बालोद दिनांक 13.06.22

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर, जिला बालोद को सादर सूचनार्थ।
2. अग्रणी प्राचार्य शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त बालोद,जिला बालोद को सूचनार्थ एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय को सूचित करने हेतु।
3. प्राचार्य शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय/नर्सिग कालेज/पॉलीटेक्निक कालेज /आई.टी.आई...जिला बालोद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास बालोद
जिला–बालोद(छ.ग.)

13/06/2022
जिला जन सम्पर्क कार्यालय बालोद
O/C

- 363 -\\Server-pc\e\Narsingh Sahu\Memo Scholarship.Main.docx

कार्यालय कलेक्टर,आदिवासी विकास शाखा बालोद (छ.ग.)

फैक्स नं. 07749-223915, ई–मेल – actwd.balod@gmail.com

-:: प्रेस विज्ञप्तिः:-

वर्श 2022–23 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु विज्ञप्ति

बालोद जिले में संचालित समस्य शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, मेडिकल कालेज, आई.टी.आई. एवं पॉलीटेक्निक कालेज आदि के प्राचार्य/संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत **अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग** के विद्यार्थियों को विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण की पात्रता है, को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2022–23 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति(कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की वितरण की कार्यवाही http:// postmatric-scholarship.cg.nic.in वेबसाईट पर ऑनलाईन किया जाना है।

वर्ष 2022–23 से अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशानुसार NSP पोर्टल scholarships.gov.in में आवेदन किया जाना है। इस पोर्टल में सफल पंजीयन के पश्चात् आवेदन की शेष जानकारी हेतु छ.ग. राज्य पोर्टल http:// postmatric-scholarship.cg.nic.in में आवेदन करना अनिवार्य है। उक्त दोनों पोर्टल पर आवेदन नहीं करने पर छात्रवृत्ति भुगतान नहीं होगा।

छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के नवीन एवं नवीनीकरण पंजीयन, संस्थाओं के प्रस्ताव/स्वीकृति लाक करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2022–23 में निम्नानुसार तिथि निर्धारित की जाती है:–

क्र	प्रकिया	अंतिम तिथि
1	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु(नवीन एवं नवीनीकरण)	दिनांक 10.06.2022 से 15.07.2022 तक
2	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 10.06.2022 से 25.07.2022 तक
3	Senction Order Lock करने हेतु	दिनांक 10.06.2022 से 10.08.2022 तक

निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2022–23 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आफलाईन अथवा ऑनलाईन किसी भी प्रकार के आवेदन स्वीकृत नहीं किये जावेंगे। एवं Draft Praposal अथवा Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर संबंधित विद्यार्थी छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति से वंचित रह जायेंगे। इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास बालोद
जिला–बालोद(छ.ग.)